

पंजीयन क्रमांक 1870/2019

दिनांक 10.05.2019

डिस्पेंच नं. 32

दिनांक 10.05.2019

राजस्थान सरकार

प्रपत्र ( फार्म ) संख्या-7

# निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक ( रजिस्ट्रार ), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



## गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत ( देखिये नियम-6 )

श्री सरवर गौशाला सेवा एवं विकास संस्थान

ग्राम धुरिया पोस्ट डेदा

तहसील सम जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री खुर्शीद अली (कौवाध्यक्ष) न्यासी (ट्रस्टी)

गौशाला श्री सरवर गौशाला सेवा एवं विकास संस्थान ने राजस्थान

गौशाला अधिनियम, 1960 ( अधिनियम संख्या 24 सन् 1960 ) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला

के पंजीयन ( रजिस्ट्रेशन ) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ।

आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के

अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत ( रजिस्ट्रार ) करली गई है।

आज दिनांक दस माह मई वर्ष दो हजार उन्नीस



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक  
( गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी  
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जैसलमेर  
क्रमांक :- 58 <sup>165-</sup> 28/2/19

दिनांक :- 2010-2011


सशोधित पजीयन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सरवर सेवा एवं विकास संस्थान जैसलमेर का पजीयन इस कार्यालय द्वारा पजीयन क्रमांक 58/जैसल/2010-11 पजीयन दिनांक 2010-11 को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम सं. 28. 1958)के तहत किया गया है।

आज दिनांक 27-02-2019 को इस संस्था का नाम परिवर्तन करके सरवर गौशाला सेवा एवं विकास संस्थान धुरिया जैसलमेर कर दिया गया है।

सशोधित प्रमाण पत्र आज दिनांक सत्तर माह फरवरी सन् दो हजार उन्नीस को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



  
(सुजानाराम)  
रजिस्ट्रार संस्था